न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 30/2021 **दायर दिनांकः 03.08.2021**

उनवान

1. पृथ्वीराज सिंह आयु 76 वर्ष पुत्र बजरंग सिंह जाति राव राजपूत निवासी कवाई तह0 अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थी :—विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

अप्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 20/09/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू में खाता संख्या 395 कुल किता 1 का रकबा 0.80 है0, खाता संख्या 396 का 1 किता रकबा 4.39 है0, खाता संख्या 394 किता 1 रकबा 2.87 है0, खाता संख्या 397 कुल किता 5 का रकबा 1.67 है0 का हिस्सा 1/2 भूमि स्थित दर्ज चली आ रही है नकल जमाबन्दी संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम पृथ्वीराज सिंह होते हुए भी पटवारी हल्का ने नामान्तरण दर्ज करते वक्त कुछ खातों मं पृथ्वी सिंह पुत्र बजरंग सिंह तथा कुछ खातों में पृथ्वीराज पुत्र बजरंग दर्ज कर दिया हैं। जिससे प्रार्थी को ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा भूमि का विकास भी नहीं करवा पा रहा है। जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने दिनांक 25.07.2021 का श्रीमान तहसीलदार साहब से राजस्व रिकार्ड में हो रही त्रुटि का दुरूस्त करने का निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:39 IST
Reason: SelfAttested

तो श्रीमान तहसीलदार साहब ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी। इसलिए माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई डी एवं बैंक खातों में तथा पंजीकृत दस्तावेज में प्रार्थी का नाम पृथ्वीराज सिंह पुत्र बजरंग सिंह दर्ज है। प्रार्थी इस अनुसार प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमियों में हो रही त्रुटियों को दुरूस्त करवानें का अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाया जाना सुभव नही है। अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र मे आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम कवाई तह0 अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर प्रार्थना पत्र पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम पृथ्वीराज सिंह पुत्र बजरंग सिंह बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के अन्तर्गत pw1 का शपथ पत्र पेश किया गया। अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम पृथ्वीराज सिंह पुत्र बजरंग सिंह बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे तथा प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। संवत् 2075–2078 की जमाबन्दी ग्राम कवाई की खाता सं0 394 रकबा 2.87 है0, 396 रकबा 4.39 है0, 397 रकबा 1.67 [illegible] 1/2, में प्रार्थी का नाम पृथ्वीसिंह पुत्र बजरंगसिंह दर्ज है। तथा खाता संख्या 395 रकबा 0.[illegible]0 में प्रार्थी का नाम पृथ्वीराज पुत्र बजरंग दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड में प्रार्थी का [illegible] पृथ्वीराज पुत्र बजरंग सिंह, राशन कार्ड व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:39 IST
Reason: Self Attested

बैक पासबुक पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई में प्रार्थी का नाम पृथ्वीराज सिंह पुत्र बजरंग सिंह दर्ज है।

अतः रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर न्याय हित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू में खाता संख्या 395 कुल किता 1 का रकबा 0.80 है0, खाता संख्या 396 का 1 किता रकबा 4.39 है0, खाता संख्या 394 किता 1 रकबा 2.87 है0, खाता संख्या 397 कुल किता 5 का रकबा 1.67 है0 का हिस्सा 1/2 भूमि में प्रार्थी का नाम पृथ्वीसिंह/पृथ्वीराज पुत्र बजरंगसिंह/बजरंग के स्थान पर **पृथ्वीराज सिंह पुत्र बजरंग सिंह** राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:39 IST
Reason: SelfAttested